cc

1935 का भारत शासन अधिनियम

(B.A - SEMESTER-VI) Paper XIII (13) (Guess Q-9)

1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि

1932 ई० के सविनय अवज्ञा राष्ट्रीय आंदोलन को यद्यपि अंग्रेजी सरकार दमन का सहारा लेकर कुचलने में सफल तो हो गई किंतु उसे यह अहसास हो गया कि दमन की नीति के द्वारा राष्ट्रवादी भावनाओं को अधिक दिनों तक दबाया नहीं जा सकता है। अब सरकार भविष्य में ऐसे किसी राष्ट्रीय आंदोलन की संभावना को समाप्त करने के प्रयास पर विचार करने लगी। उसने कांग्रेस को विभक्त करने की योजना बनाई। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने 1935 ई. का 'भारत शासन अधिनियम' प्रस्तुत किया। क्योंकि उसे उम्मीद थी कि संवैधानिक सुधारों के इस अधिनियम से कांग्रेस के एक रवैये को संतुष्ट एवं औपनिवेशिक प्रशासन में समाहित कर लिया जायेगा तथा राष्ट्रवादी आंदोलन की बची हुई शक्ति को दमन से समाप्त कर दिया जायेगा। अपनी इन्हीं नीतियों को अमली जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में 'भारत सरकार अधिनियम, 1935' पारित किया।

भारत सरकार अधिनियम - 1935 के पारित होने से पूर्व इसमें 'साइमन आयोग रिपोर्ट', नेहरु समिति की रिपोर्ट, ब्रिटेन में संपन्न तीन गोलमेज सम्मेलनों में हुये कुछ विचार-विमर्शों से सहायता लीगई। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के संपन्न होने के बाद कुछ प्रस्ताव 'श्वेत-पत्र' नाम से प्रकाशित हुये, जिनपर बहस के लिए ब्रिटेन के दोनों सदनों एवं कुछ भारतीय प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। अन्ततः इस

रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम पारित हुआ। 1935 का अधिनियम काफी लंबा एवं जटिल था। इसे 3 जुलाई, 1936 को आंशिक रूप से लागू किया गया, किंतु पूर्णरूप से चुनावों के बाद अप्रैल, 1937 ई. में यह लागू हो पाया।

1935 ई. के अधिनियम की विशेषताएँ

1935 के अधिनियम में कुल 321 धाराएँ एवं 10 सूचियों का समावेश था; इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे:—

1. केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गयी। संघीय विषयों को दो भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर-जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से करता था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर-जनरल व मंत्रियों को सौंपा गया। मंत्री विधानमंडल के सदस्यों में से चुने जाते थे तथा इसी के प्रति उत्तरदायी होते थे।

2. इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रान्तों में 11 में से 6 विधानमंडलों में दो सदनों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।

3. इस अधिनियम के द्वारा प्रान्तों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और अधिक बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया।

4. इस अधिनियम में एक 'अखिल भारतीय संघ' की व्यवस्था की गई। इस संघ का निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों

चीफ कमिश्नर, प्रांतों व देशी रियासतों से मिलकर होना था, किंतु यह व्यवस्था लागू न हो सकी, क्योंकि प्रस्तावित संघ में भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, परंतु भारतीय रियासतों का शामिल होना इच्छा पर निर्भर करता था।

5. प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई।

6. बर्मा (वर्तमान में म्यांमार) को भारत से पृथक कर दिया गया।

7. विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम न्यायालय 'प्रिवी काउंसिल' थी।

8. इस अधिनियम के द्वारा गृह सरकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये। जिन विषयों पर गवर्नर अपने मंत्रियों के सहयोग से कार्य करता था, उसपर उन्होंने भारतमंत्री के अधिकार को समाप्त कर दिया और साथ ही 'भारतीय परिषद्' को समाप्त कर दिया गया।

9. 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' की स्थापना की गई।

1935 के अधिनियम का मूल्यांकन

पं. जवाहरलाल ने इस अधिनियम के संबंध में कहा था कि, "यह अधिनियम दासता का घोषणा पत्र है।"

वस्तुतः यह एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथों में सीमित रखी थी। इसमें प्रस्तावित संघ की रूपरेखा ऐसी बनायी गई थी किसी भी प्रकार का वास्तविक विकास असंभव हो जाये।

इस अधिनियम को बंगाल के मुख्यमंत्री फजल उल हक ने कहा कि न तो यह हिंदू राज है और न ही मुस्लिम राज।)

इससे पूर्व यह बात स्पष्ट हो गई थी कि साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली भारत के लिए अहितकर है और सभी राजनैतिक दलों ने इसे एक सिरे से नकार भी दिया था, फिर भी इस अधिनियम के द्वारा न केवल इसे बना रहने दिया गया बल्कि इसका विस्तार भी किया गया। इस अधिनियम में नये संविधान के स्वविकसित होने या भारतीयों द्वारा अपने भाग्य के निर्णय करने का कोई प्रबंध नहीं था।

यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था और भारत की आगे की प्रगति का निर्णायक भी ब्रिटिश संसद ही थी।

1935 के अधिनियम के द्वारा भारत पर ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री के नियंत्रण में भी कोई कमी नहीं की गई। शायद इन्हीं सब प्रावधानों को देखते हुये एटली ने ठीक ही कहा था कि, "भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है।"

Rajesh Kr. Singh,
Asst. Prof. (History)
U.S.P.M.U.